

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	क्रमांक:-एफ॥१॥विक्रय/2025/289	विज्ञापित	दिनांक:- 28.7.25
कोटा विकास प्राधिकरण कोटा को योजना सुभाष नगर आवासीय आवास संख्या 37 को आवंटन/न्यास पत्र क्रमांक 89 दिनांक 26.02.1994 को श्री सूरजमल मेघवाल पुत्र श्री गेंदी लाल मेघवाल को आवंटन किया गया था। उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति जयें मुख्तारआम श्री उदय सिंह पुत्र श्री फूल सिंह द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।			
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 37 योजना सुभाष नगर आवासीय की विक्रय स्वीकृति श्री सूरजमल मेघवाल पुत्र श्री गेंदी लाल मेघवाल जयें मुख्तारआम श्री उदय सिंह पुत्र श्री फूल सिंह के नाम जारी कर दी जायेगी।			
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	क्रमांक:-एफ॥१॥विक्रय/2025/1470	दिनांक:-25.7.25
विक्रय स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना		
कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-192 भी रामकृष्णपुरम योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक-1805 दिनांक 14.06.1999 द्वारा श्री सोहनलाल जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन को आवंटित किया गया था। श्री सोहनलाल जैन के द्वारा श्री राजेश कुमार जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन को उक्त भूखंड की कार्यवाही के संबंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। श्री राजेश कुमार जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति चाही गई है। श्री राजेश कुमार जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन द्वारा उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।		
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम विक्रय स्वीकृति देने में किसी को भी कोई एतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करके अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या 192 भी रामकृष्णपुरम योजना की विक्रय स्वीकृति श्री राजेश कुमार जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन नाम से जारी कर दी जावेगी।		
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा	क्रमांक:-1477	नाम हस्तान्तरण चाहते बाबत आम सूचना	दिनांक:-29.7.2025
नगर विकास न्यास कोटा को श्रीरामकृष्णपुरम ए आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 1319 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/न्यास के पत्र दिनांक 26.10.2002 को श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नमोचन्द जैन को किया गया था। आवंटो उक्त भूखंड/आवास का जयें मुख्तारआम श्री नमोच जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2023 को 1008 श्री मुनिमुसुनतारण दिग्गम्बर जैन मंदिर (विकाल चौबीसी) जयें अध्यक्ष श्री महावीर जैन पुत्र श्री हेमराज जैन एवं महाश्री श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।			
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम विक्रय स्वीकृति देने में किसी को भी कोई एतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड/आवास संख्या 1319 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ए आवासीय का नाम हस्तान्तरण 1008 श्री मुनिमुसुनतारण दिग्गम्बर जैन मंदिर (विकाल चौबीसी) जयें अध्यक्ष श्री महावीर जैन पुत्र श्री हेमराज जैन एवं महाश्री श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।			
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	क्रमांक: 1088	जाहिर आम सूचना	दिनांक - 29.7.25
आवास संख्या 1-7-1-12 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री भूपेन्द्र पाल मेहेंद्र पुत्र श्री दुर्गादास को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री भूपेन्द्र पाल मेहेंद्र पुत्र श्री दुर्गादास नाम दिनांक 22.07.1986 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री भूपेन्द्र पाल मेहेंद्र पुत्र श्री दुर्गादास द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 06.02.1987 को श्री आर.एन. गौड़ पुत्र श्री आर.पी. गौड़ को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री आर.एन. गौड़ पुत्र श्री आर.पी. गौड़ की मृत्यु दिनांक 07.06.1997 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसांतों में श्रीमती रंजय गौड़ दूधू रय, श्री आर.एन. गौड़ पत्नी श्री यशर कुमार गौड़ द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अधिप्रापित हिस्से का त्याग जयें रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) अलेखित कर दिनांक 04.07.2025 को श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी रय, श्री आर.एन. गौड़ के पक्ष में किया गया। श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी रय, श्री आर.एन. गौड़ द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-7-1-12 दादाबाड़ी कोटा का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, राशय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।			
अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, राशय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री बाबू लाल मर्हसिंहला पुत्र श्री गणपत लाल मर्हसिंहला को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री बाबू लाल मर्हसिंहला पुत्र श्री गणपत लाल मर्हसिंहला की मृत्यु दिनांक 24.07.2015 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन वसीयत नाम के आधार पर दिनांक 10.02.2022 को श्री मोहन सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री नरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री सुरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला एवं श्रीमती कमलेश मर्हसिंहला पत्नी रय, श्री मेहेन्द्र सिंह मर्हसिंहला के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया है। इस आवास का पंजीयन श्री मोहन सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री नरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री सुरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला एवं श्रीमती कमलेश मर्हसिंहला पत्नी रय, श्री मेहेन्द्र सिंह मर्हसिंहला के नाम दिनांक 30.05.2024 को अपने पक्ष में संयुक्त रूप से करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री मोहन सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री नरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला एवं श्रीमती कमलेश मर्हसिंहला पत्नी रय, श्री मेहेन्द्र सिंह मर्हसिंहला द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 12.09.2024 को श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल को संयुक्त रूप से किया गया है। श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-पी-25 तलवण्डी कोटा की विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।			
अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जायेगा।			
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा			

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	क्रमांक: 999	जाहिर आम सूचना	दिनांक - 17.7.25
आवास संख्या 4-पी-25 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री बाबू लाल मर्हसिंहला पुत्र श्री गणपत लाल मर्हसिंहला को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री बाबू लाल मर्हसिंहला पुत्र श्री गणपत लाल मर्हसिंहला की मृत्यु दिनांक 24.07.2015 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन वसीयत नाम के आधार पर दिनांक 10.02.2022 को श्री मोहन सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री नरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री सुरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला एवं श्रीमती कमलेश मर्हसिंहला पत्नी रय, श्री मेहेन्द्र सिंह मर्हसिंहला के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया है। इस आवास का पंजीयन श्री मोहन सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री नरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री सुरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला एवं श्रीमती कमलेश मर्हसिंहला पत्नी रय, श्री मेहेन्द्र सिंह मर्हसिंहला के नाम दिनांक 30.05.2024 को अपने पक्ष में संयुक्त रूप से करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री मोहन सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला, श्री नरेन्द्र सिंह मर्हसिंहला पुत्र रय, श्री बाबू लाल मर्हसिंहला एवं श्रीमती कमलेश मर्हसिंहला पत्नी रय, श्री मेहेन्द्र सिंह मर्हसिंहला द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 12.09.2024 को श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल को संयुक्त रूप से किया गया है। श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-पी-25 तलवण्डी कोटा की विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।			
अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री मनीष गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल एवं श्रीमती नीतू गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जायेगा।			
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा			

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	क्रमांक: 1094	जाहिर आम सूचना	दिनांक - 29.7.2027
आवास संख्या 3-सी-18 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री मेहेन्द्र कुमार सावर पुत्र द्वारा का लाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री मेहेन्द्र कुमार सावर पुत्र द्वारा का लाल के नाम दिनांक 24.03.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री मेहेन्द्र कुमार सावर पुत्र द्वारा का लाल की मृत्यु दिनांक 06.08.2003 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु पश्चात इनके वारिसांतों में श्रीमती रंजेश कुमारी पत्नी रय, श्री मेहेन्द्र कुमार सावर एवं श्री प्रभाकर कुमार गुप्ता पुत्र रय, श्री मेहेन्द्र कुमार सावर द्वारा उक्त आवास को 10.06.2025 को जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) अलेखित कर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र रय, श्री मेहेन्द्र कुमार के पक्ष में हकत्याग किया गया। श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र रय, श्री मेहेन्द्र कुमार द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-सी-18 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, राशय पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया है।			
अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हक त्याग (रिलीज डीड) के आधार पर श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र रय, श्री मेहेन्द्र कुमार के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र रय, श्री मेहेन्द्र कुमार के नाम किया जावेगा।			
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा			

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	क्रमांक: 1093	जाहिर आम सूचना	दिनांक - 29.7.2027
आवास संख्या 1-सी-6 इंदरा नगर झालाबाद का आवंटन मंडल द्वारा श्री द्वारा का लाल पुत्र श्री बी.एल. गुप्ता को किया गया था। इस आवास का निगमनिकरण श्री राम परेस माण्डिया श्री राम परेस भावलाल पुत्र श्री भैरवलाल पुत्र श्री भैरवलाल को दिनांक 27.11.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती देवी पत्नी श्री बजरंग सिंह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 28.03.2003 को श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र रय, श्री भूपाल शर्मा को किया गया। श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र रय, श्री प्रमल्ल शर्मा मांय द्वारा उक्त आवास का उपहार जरिये उपहार पत्र अलेखित कर दिनांक 15.02.2021 को श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर के आधार पत्र। श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-एल-36 महारानी नगर विस्तार योजना कोटा को उपहार पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।			
अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, राशय पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नाम के आधार पर श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र के आधार पर श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री जगमोहन चौधरी पुत्र श्री समीर मल चौधरी के नाम कर दिया जावेगा।			
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा			

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा	क्रमांक: 1096	जाहिर आम सूचना	दिनांक - 29.7.25
आवास संख्या 1-एल-36 महारानी नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती शिला देवी पत्नी श्री एम.एल. टांक को किया गया था। इस आवास का निगमनिकरण श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री बजरंग सिंह के नाम दिनांक 31.10.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री बजरंग सिंह द्वारा दिनांक 27.11.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती देवी पत्नी श्री बजरंग सिंह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 28.03.2003 को श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र रय, श्री भूपाल शर्मा को किया गया। श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र रय, श्री प्रमल्ल शर्मा मांय द्वारा उक्त आवास का उपहार जरिये उपहार पत्र अलेखित कर दिनांक 15.02.2021 को श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर के आधार पत्र। श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-एल-36 महारानी नगर विस्तार योजना कोटा को उपहार पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।			
अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र के आधार पर श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र के आधार पर श्री प्रभाकर गोयल पुत्र श्री नन्द किशोर का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्री जगमोहन चौधरी पुत्र श्री समीर मल चौधरी के नाम कर दिया जावेगा।			
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा			

कोटा में पहली बार ‘लहरिया लिटिल स्टार्डल आईकन’ का आयोजन

कोटा, (निसं)। केट वीमेन विंग जिला कोटा के तत्वावधान में आगामी दो अगस्त को बालक-बालिकाओं के केलिये राजस्थान की संस्कृति से परिचित कराने हेतु ‘लहरिया लिटिल स्टार्डल आईकन’ प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा संस्था की अध्यक्ष नीलम विजय ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व अध्यक्षता कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा रहेंगे। अब तक 120 से ज्यादा प्रतिभागियों के आ जाने से नई एन्टी बंद कर दी है।

प्रतिभागी बच्चो उनके परिजनों तथा शहरवासियों में इस कार्यक्रम को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है। सचिव भास्विका प्रीत ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा की कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) वीमेन विंग जिला कोटा के तत्वावधान मे आयोजित इस प्रतियोगिता में नन्दे मुन्हे 6 महीने तथा 9 महीने के बच्चे भी भाग ले रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष ऋचा गुप्ता ने बताया की उद्यमी मातृशक्ति स्वावलंबन व्यापार के साथ-साथ सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। नवाचार व संस्कृति से जुड़े छोटे बच्चों

जर्जर भवनों का अवलोकन किया

छबड़ा (निसं)। सीबीईओ वीरेन्द्रसिंह यादव ने ट्रेक्टर में बैठ नाला पार्कर जर्जर भवनों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीबीईओ यादव ने गोडियाचारण, भुवाखेडी के जर्जर भवनों की स्थितियों का जायजा लेते हुए भुवाखेडी के जर्जर भवन को सील किया तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय गोडियाचारण के तीन कमरों में आवाजाही पर रोक लगाई गई।

नाम परिवर्तन
मैंने अपना पुराना नाम फरीदा से बदलकर नया नाम फरीदा पाटनवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-फरीदा पाटनवाला पुत्र मुस्ताफा पाटनवाला वार्ड नम्बर 6 छत्री चौक सुनेल झालावाड़

खोया पाया
गोपाललाल मीना पुत्र भंवरलाल 2-D -23 तलवण्डी कोटा का आवंटन पत्र कब्जा पत्र व आवास का कब्जा देने संबंधी लेटर कही गुम हो गए है किसी को मिलने पर सूचित करें- मो. 8824364763

कार्यालय नगर पालिका अन्ता जिला-बारां (राज.)	क्रमांक:-न.पा.अ./पुमि/2025/960-963	दिनांक:-28.7.2025
प्रश्न:- 10 (नियम 67) देखिए		
लोक सूचना		
1. शिवम एण्जनेयरिंग ग्रुप संस्था प्रो. श्री भूपेन्द्र कुमावत पुत्र श्री बाबूलाल कुमावत, यशवन्त नागर पुत्र श्री हरिदाम नागर निवासी-अन्ता जिला बारां (राज.) से इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित सूचित का गैर-कृषिक प्रयोजन के संस्थापन उपयोज्य हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिप्रापित अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः-		
जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	यसरा सं. क्षेत्र
जिला-बारां तहसील-अन्ता	राजस्थ ग्राम बमोरी अन्ता पटवार हकीम बमोरी अन्ता तह. अन्ता	1427/198 1700 क.व.स.0.17 है. वर्गमीटर
इतलिये, इनके द्वारा समस्त सहायक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान पृ-उपखण्ड अधिनियम 1956 की धारा 90-अ और राजस्थान अधिप्रापित अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अनुसार पूर्णतः प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने और अधिभुत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आशेष है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिव के भीतर-धीरे किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दावापत्रों के साथ अपने आशेष प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम संख्या के भीतर-धीरे किसी अधिकार के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आशेष नहीं है और तत्पश्चात मामले का निपटारा किया जावेगा।		
यह सूचना बरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आया....को जारी की गयी।		
प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका अन्ता		

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान	क्रमांक:-नगिको-द./उपमयुक्त/प.मि.अ.उ./2025/5474	दिनांक: 25.7.25
स्वामित्व हस्तान्तरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित		
सर्व सारणाण को सूचित किया जाता है कि अधोक्त श्री अशोक मितल एवं श्री सत्यनारायण मितल पुत्र श्री ओमप्रकाश मितल निवासी-महाराणी गर्लस स्कूल के पथ रामपुरा कोटा राजस्थान द्वारा आवास/भूखंड रामपुरा भाटापडा महाराणी गर्लस स्कूल के पीछे रामपुरा कोटा का क्षेत्रफल 1929.75 वर्गफीट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।		
आवास/भूखंड रामपुरा भाटापडा महाराणी गर्लस स्कूल के पीछे रामपुरा कोटा स्थित भूखंड का आवंटन कार्यालय नगर निगम कोटा-उत्तर द्वारा पट्टा क्रमांक 7582 दिनांक 08.10.2023 जिसका विवरण 1929.75 वर्गफीट। श्रीमती हरिकेश्वर मितल पत्नी श्री ओमप्रकाश मितल के पक्ष में जारी किया गया था। श्रीमती हरिकेश्वर मितल पत्नी श्री ओमप्रकाश मितल की मृत्यु दिनांक 11.02.2024 को हो चुकी है व श्री ओमप्रकाश मितल की भी मृत्यु दिनांक 26.05.2006 में हो चुकी है। श्रीमती हरिकेश्वर मितल पत्नी श्री ओमप्रकाश मितल द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत नाम दिनांक 10.09.2024 को श्री अशोक मितल एवं श्री सत्यनारायण मितल पुत्र श्री ओमप्रकाश मितल के पक्ष में निष्पादित की।		
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में भूखंड संख्या 798 महारानी नगर प्रथम कोटा आवासीय का जिसका क्षेत्रफल 980 वर्गफुट का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रूप में उपायुक्त कक्ष में प्रस्तुत करें। वार मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।		
उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण		

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर	क्रमांक:-नगिको-द. (उ.)/प.मि.अ.उ./जो-प्रश्न/2025/9640-41	दिनांक: 29.7.25
सार्वजनिक विज्ञापित		
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकों की अशोक मितल एवं श्री सत्यनारायण मितल पुत्र श्री ओमप्रकाश मितल निवासी-महाराणी गर्लस स्कूल के पथ रामपुरा कोटा राजस्थान द्वारा आवास/भूखंड रामपुरा भाटापडा महाराणी गर्लस स्कूल के पीछे रामपुरा कोटा का क्षेत्रफल 1929.75 वर्गफीट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।		
आवास/भूखंड रामपुरा भाटापडा महाराणी गर्लस स्कूल के पीछे रामपुरा कोटा स्थित भूखंड का आवंटन कार्यालय नगर निगम कोटा-उत्तर द्वारा पट्टा क्रमांक 7582 दिनांक 08.10.2023 जिसका विवरण 1929.75 वर्गफीट। श्रीमती हरिकेश्वर मितल पत्नी श्री ओमप्रकाश मितल के पक्ष में जारी किया गया था। श्रीमती हरिकेश्वर मितल पत्नी श्री ओमप्रकाश मितल की मृत्यु दिनांक 11.02.2024 को हो चुकी है व श्री ओमप्रकाश मितल की भी मृत्यु दिनांक 26.05.2006 में हो चुकी है। श्रीमती हरिकेश्वर मितल पत्नी श्री ओमप्रकाश मितल द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत नाम दिनांक 10.09.2024 को श्री अशोक मितल एवं श्री सत्यनारायण मितल पुत्र श्री ओमप्रकाश मितल के पक्ष में निष्पादित की।		
आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखंड रामपुरा भाटापडा महाराणी गर्लस स्कूल के पीछे रामपुरा कोटा द्वारा कुल क्षेत्रफल (1929.75 वर्गफीट) का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास/भूखंड रामपुरा भाटापडा महाराणी गर्लस स्कूल के पीछे रामपुरा कोटा का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रूप से, अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त निष्प्रापित समर्थकबंध के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।		
उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर		



कोटा में पहली बार आयोजित होने वाली लहरिया लिटिल स्टार्डल आईकन प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया।

के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी व कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए इवेंट मैनेजर स्वप्निल गुप्ता ने बताया की ये कार्यक्रम शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में एक अनूठा कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चे राजस्थानी लहरिया पहनकर आएँगे व कार्यक्रम स्थल भी लहरिया के रंगों से सुसज्जित होगा। संस्था की मीडिया कॉ-ऑर्डिनेटर कीर्ति मितल जैन ने बताया कि कोटा में छोटे बच्चो को राजस्थानी संस्कृति से जोड़ने व लहरिया थीम का पहला आयोजन किया जा रहा है। यह राजस्थान की

संस्कृति व सावन भादो की उमंग ओर तरंग की तरह लहरिया के स्वरूप में लहरने वाला रहेगा। टीम की सदस्य अंकिता खंडेलवाल ने बताया कि छोटे बच्चों को आयु अनुसार ध्यान में रखकर कैटेगरी बनाई गई है, इस आयोजन में अलग-अलग कैटेगरी में एक से पंद्रह वर्ष तक के सभी बच्चे भाग ले रहे हैं। सामाध्यक्ष डॉ रंजि जोहरी बताया कि साप्ताहिक संस्थाओं व अन्य व्यापारिक संगठनों का सहयोग भी बढ़-चढ़कर मिल रहा है। डॉ.सपना अग्रवाल व मीडिया इम्प्लूएंजर अनिका विजय

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ गोंजा तस्करों के साढ़े छह साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने मामले में सुनवाई करते हुए गांजा तस्करों के आरोपी रोहित उर्फ विवेक को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 22 सितम्बर 2019 को नयापुरा थानाधिकारी ने सूचना पर कार्यावाही करते हुए नयापुरा निवासी रोहित उर्फ विवेक के रिहायशी मकान में बने कमरे की अलमारी में से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही के दौरान 4 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया।
--

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ गोंजा तस्करों के साढ़े छह साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने मामले में सुनवाई करते हुए गांजा तस्करों के आरोपी रोहित उर्फ विवेक को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 22 सितम्बर 2019 को नयापुरा थानाधिकारी ने सूचना पर कार्यावाही करते हुए नयापुरा निवासी रोहित उर्फ विवेक के रिहायशी मकान में बने कमरे की अलमारी में से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही के दौरान 4 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया।
--

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ गोंजा तस्कर
--